

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 जुलाई, 1997

खण्ड-1, अंक-15

अधिकृत विवरण

विशत सूची

मंगलवार, 22 जुलाई, 1997

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(15)1
सदस्य का नाम लेना	(15)1
नियम 104 का निलंबन तथा सदन की सेवा से सदस्यों का निलंबन	(15)2

बैठक का स्थगन	(15)4
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(15)8
नियम 104 का निलंबन तथा सदन की सेवा से सदस्यों का निलंबन बैठक का स्थगन	(15)10
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(15)11
नियम 45 के अधिनी सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(15)12
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	
श्री वीरेन्द्र सिंह राणा	(15)16
वाक आउट	
वर्ष 1992-93 की ऐक्सैस डिमांडज ओवर ग्रांटस एवं ऐप्रोप्रिएशंज पर चर्चा तथा मतदान	(15)23
सरकारी संकल्प	(15)27
दि हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रिफौर्म बिल, 1997	(15)27

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 22 जुलाई, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो. छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब सवाल होंगे।

Construction of Kisan Bhawan at Julana

***241. Sh. Sat Narain Lather:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Rest House by Market Committee at Julana, District Jind?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री सत नारायण लाठर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, को बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी विश्राम गृह नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वहां पर भी मुख्यमंत्री महोदय व अन्य मंत्रियों का आगमन होता रहता है लेकिन मेरे जुलाना विधान सभा

क्षेत्र में कोई भी पी.डब्ल्यू.डी. का या विभाग का कोई रैस्ट हाउस नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्य का नाम लेना

(इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गए)

आवाजें: अध्यक्ष महोदय, हम एक सबमिशन करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सब बैठ जाएं। चौ. बीरेन्द्र सिंह जी आप बहुत ही पुराने मैम्बर हैं। वीरेन्द्र सिंह जी आप अपनी पार्टी के सदस्यों को यह बताएं कि यह सब कुछ प्रश्न काल में नहीं होता है। आप सब बैठ जाएं। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) Nothing is to be recorded. (Noise & Interruptions) Mr. Surjewala, please take your seat. (Interruptions). I warn you. (Noise & Interruptions). Mr. Surjewala, I again warn your and this is my last warning; otherwise I will take any other step against you. (Noise & Interruptions) Capt. Ajay Singh, please take your seat. (Noise & Interruptions). बीरेन्द्र सिंह जी मुझे कम से कम आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप भी क्वेश्चन आवर में इस तरह बोलेंगे। आप अपने साथियों से कहें कि वे प्रश्न काल चलने दें और आप सबने जो भी अपनी बातें कहनी हैं, वे जीरो आवर में कह लेना।

(Noise & Interruptions) Mr. Dilu Ram Ji, please take your seat (Noise & Interruptions). Whether he is saying that should not be recorded. मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ और जो विशेष रूप से वरिष्ठ विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं कि आप सब जो कुछ भी कहना चाहते हैं जीरो आवर में कह लेना। (शोर एवं व्यवधान)

एक आवाज: यह जो हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रिफार्म बिल 1997 सदन में आ रहा है, यह वापस होना चाहिये। इससे हरियाणा के जन-जन भला नहीं होगा। (विघ्न व शोर)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर) राणा साहब और सांगवान साहब आप भी बैठें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे आराम से हाउस को चलने दें। जीरो आवर में जो भी माननीय सदस्य अगर कुछ कहना चाहें, तो कह सकते हैं। उस समय आपको पूरा हक बोलने का है। अब आप सभी बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) सुर्जेवाला जी, यह मेरा आपको लास्ट वार्निंग है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) ये जो भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी भाईयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे सदन की कार्यवाही को ठीक तरह से चलने दें। सर, मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस है कि चौ. बीरेन्द्र सिंह जी जैसे सदस्य,

जो संसदीय कार्य प्रणाली से अच्छी तरह परिचित हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, आप इनका बोलने का तरीका देखिए। क्या यह इनका बात करने का तरीका ठीक है?

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी सीटों पर बैठिए। कप्तान साहब, आप तीसरी बार एम.एल.ए. बनकर आए हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आवर में कभी ऐसा होता है जैसा आप कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान) अब जो भी ये बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए। अजय सिंह, आप मेरी बात सुनिए। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप हाउस को चलने दें। आप थोड़ा सा एक साल पहले झांक कर देख लें कि आप उस समय क्या किया करते थे। जैसा आप किया करते थे वैसा अब इस सदन में कभी नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) जो भी बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए। अब क्वेश्चन आवर जारी रहेगा। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी माननीय सदस्य सदन की बैल में आ गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष: सुर्जेवाला जी, मैं आपको नेम करता हूँ।
Please leave the House.

(इस समय श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला सदन से बारह चले गए।)

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्यों का
निलम्बन

(Members of the Congress Party continued raising slogans & there was turmoil in the House.)

Agriculture Minister (Sh. Karan Singh Dalal): Sir, I beg to move –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sh. Satwinder Singh Rana.

Mr. Speaker: Motion moved –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sh. Satwinder Singh Rana.

(Interruptions and noise)

Mr. Speaker: Question is –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sh. Satwinder Singh Rana.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Sh. Karan Singh Dalal): Sir, I beg to move –

That Sh. Satiwander Singh Rana, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker: Motion moved –

That Sh. Satiwander Singh Rana, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

(Interruptions and noise)

Mr. Speaker: Question is –

That Sh. Satiwander Singh Rana, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Sh. Satwinder Singh Rana may now leave the House.

(The Hon'ble Member continued raising slogans.)

Mr. Speaker: Marshal, take the member from the House with the aid of watch & ward staff.

(At this stage the Marshal carried out the orders of the Hon'ble Speaker)

(Members of the Indian National Congress Party continued speaking without permission and raising slogans in the well of the Hosue.)

Agriculture Minister (Sh. Karan Singh Dalal): Sir, I beg to move –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sh. Dilu Ram.

Mr. Speaker: Motion moved –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sh. Dilu Ram.

(Interruptions and noise)

Mr. Speaker: Question is –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sh. Dilu Ram.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Sh. Karan Singh Dalal): Sir, I beg to move –

That Sh. Dilu Ram, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker: Motion moved –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sh. Dilu Ram.

(Interruptions and noise)

Mr. Speaker: Question is –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sh. Dilu Ram.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Sh. Dilu Ram Ji, please leave the House.

(At this stage Sh. Dilu Ram M.L.A. left the House)

(The Members of the Congress Party continued speaking without permission & raising slogans in the well of the House)

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, मैं सब मैम्बर साहेबान से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी अपनी सीटों पर जाएं। वे इस तरह से बीच में इंटरुप्ट न करें और सदन की कार्यवाही चलने दें। कल बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो फैसला हुआ था उसका क्या वायलेशन हुआ है, इसके सिवाये जो कुछ आपने कहा है, वह क्वेश्चन ऑवर के बाद कहिए। Otherwise nothing will be recorded.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): Sir, it is very unfortunate. क्वेश्चन ऑवर आपने शुरू किया और चौ. बीरेन्द्र सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के माननीय साथियों ने अगर सरकार के किसी प्रस्ताव की आलोचना या निन्दा करनी है तो उनको पूरा समय देंगे। वे क्वेश्चन आवर के बाद कह सकते हैं। उनको ऐसी नौबल नहीं लानी चाहिए थी। उनका मकसद केवल हंगामा करना ही है क्योंकि वे तो सदन में आने से पहले ही नारे लगा रहे थे। ये सिर्फ नारेबाजी ही करना चाहते हैं। (विधन) इनके पास बोलने के लिए तो कुद है नहीं। अगर बोलना है तो क्वेश्चन आवर के बाद बोलिये आपको पूरा समय मिलेगा। (विधन) They are not interested in the development of the State.

श्री अध्यक्ष: चौ. बीरेन्द्र सिंह जी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के क्या नार्मज हैं, यह सभी को पता है। क्वेश्चन ऑवर के बारे में आपको जो कुछ कहना है, आप कहिये कि आपको क्या आपत्ति है?

श्री बीरेन्द्र सिंह: मेरी क्वेश्चन आवर के बारे आपत्ति है कि सर, यह विधानसभा का सत्र, जिसको बजट सेशन कहा जाता था, वह मार्च 21 को समाप्त हुआ था। (विधन)

श्री अध्यक्ष: आप क्वेश्चन आवर के बारे में बतायें कि आपको क्या आपत्ति है?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मुझे कल सुनाई नहीं दिया। चौ. सुर्शीद अहमद ने कहा था –

“It is for the first time in the history of the House that from the Business Advisory Committee, the Chief Minister walks out with his members saying that we have nothing to do and we would see in the House. This is a contempt.”

उनकी यह बात गलत है। This is a contempt of the House by Mr. Khurshid because he was telling a white lie on the floor of the House. कल जब मीटिंग में बैठकर पूरी कार्यवाही करी और उसके बाद आपकी इजाजत लेकर गये हैं। बीरेन्द्र सिंह जी भी साथ ही गये एक दो मिनट का फासला था पूरी प्रोसीडिंग की गई। ऐसी गलत ब्यानी करने की इनकी आदत है। मैं समझता हूँ कि यह कंटैस्ट आफ हाउस नहीं तो और क्या है? गलत ब्यानी करने की, मिसलीड करने की इनकी आदत है? (विधन) This is a contempt of the House.

श्री बीरेन्द्र सिंह: आन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर। मेरे बारे में मुख्यमंत्री जी ने गलत बात कही है।

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर का जो पहला आईटम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पर्सनल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आवर के बाद दे लेना।

श्री बीरेन्द्र सिंह: इसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ।
Please first of all permit me to speak.

Mr. Speaker: This is questions hour. Don't go beyond the point.

Sh. Birender Singh: Hon'ble Chief Minister has come out with a new issue. He has quoted an extract of the speech of Mr. Khurshid Ahmed from the yesterday's proceedings of the House.

Mr. Speaker: That you can take up in the zero hour.

Sh. Birender Singh: Why you have allowed the Chief Minister to speak on this subject.

श्री बंसी लाल: बी.ए.सी. में जो कुछ किया गया है, वही प्रोसीडिंग्स में शो किया है। यह इनकी गलत ब्यानी है।

श्री अध्यक्ष: बी.ए.सी. के बारे में आप कोई बात न करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह: चौ. खुर्शीद अहमद ने जो बात कही थी उसका जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया है। यह बात मैं कहना चाहता हूँ कि बी.ए.सी. की बात हमें सदन में नहीं करनी चाहिए।
What transpired amongst the members of the Business

Advisory Committee, I must tell the same in the House. The Chief Minister has also come out with that.

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, चौ. खुर्शीद अहमद जी ने खुद कहा है। (शोर) स्पीकर सर, इनके पास राज्य के हित के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। (शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह: आप पहले यह बताइए कि आपने अपना इस्तीफा वापिस ले लिया है अथवा नहीं। (शोर)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर जरूरत पड़े तो इस्तीफा दे भी दें। इनकी तरह थोड़े ना कि बेईज्जती कराएं। पहले भजन लाल जी की मुखालफत की, फिर वजीर बन गए, फिर इनसे महकमा छीन लिया गया तथा फिर पार्टी से डिस्मिस किया गया। उसके बाद ये फिर चौ. भजन लाल जी की बगल में, उनकी शरण में आ पहुंचे हैं। श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा को धोखा देकर के भजन लाल जी से मिलकर ये चौधरी बने बैठे हैं। (शोर)

श्री धर्मबीर गाबा: अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष: जो कुछ भी गाबा साहब बोल रहे हैं, कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

बहिन करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष: जो कुछ भी करता देवी जी कह रही हैं, कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि

आप सभी बैठ जाएं। (शोर) The person who speaks without the permission of the Chair his/her version should not be recorded अगर आपको कुछ कहना है तो जीरो आवर में कह लेना। (शोर)

चौ. बीरेन्द्र सिंह जी, व राणा साहब, कृपया आप बैठिए। जो कुछ भी आपको कहना है, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। इनके लिए मैं एक नहीं, डेढ़ नहीं, पूरे दो घंटे दूंगा। लेकिन I won't allow to disturb the House in such a way (Noise & Interruptions). You all please take your seats.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, चौ. बीरेन्द्र सिंह जी ने सदन के अंदर एक गलत बात कही है। (शोर)

चौ. बीरेन्द्र सिंह: चौ. बंसी लाल ने भजन लाल से समझौता किया था। (शोर)

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो रोजाना "चुन्दड़ी" बदली है। एक बार नहीं, दस बार इन्होंने "चुन्दड़ी" बदली है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please take your seat. (Noise & Interruptions).

Sh. Birender Singh: Speaker Sir, ****

Sh. Khurshed Ahmed: Speaker Sir, ****

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded without my permission.

श्री खुर्शीद अहमद: स्पीकर साहब, **** (शोर)

श्री अध्यक्ष: चौ. खुर्शीद जी, आप कृपया बैठ जाएं आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। (शोर) आप क्वेश्चन आवर को आराम से चलने दें उसके बाद जीरो आवर में आपको जो कुछ कहना है, वह कह लें। But I will not allow you to speak in such a way. Please take your seat. चौ. बीरेन्द्र सिंह जी मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि क्वेश्चन आवर के बाद आप जो कुछ बोलना चाहें वह बोल लें, उसके लिए आपको जितना समय चाहिए वहा आपको मिलेगा। आप अपनी पोजीशन क्लीयर कर लें, उसके लिए आपको जितना समय चाहिए वह आपको मिलेगा। आप अपनी पोजीशन क्लीयर कर लें। आप बहुत पुराने लैजिस्लेचर हैं और एम.पी. भी रहे हैं आपको यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आवर में you cannot raise any point. Please take your seat. I warn you.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): चौ. बीरेन्द्र सिंह जी, स्पीकर साहब ने आपको कैटेगोरीकली यह आश्वासन दिया है कि आपको क्वेश्चन आवर के बाद बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा इसलिए आप क्वेश्चन आवर के बाद अपनी पोजीशन क्लीयर कर लें। स्पीकर साहब के आश्वासन के बाद आप क्वेश्चन

आवर समाप्त होने दें उसके बाद अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर लेना। (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, आज क्वेश्चन आवर तो है ही नहीं। (शोर)

Mr. Speaker: Capt. Sahib, you are nobody to decide whether it is question hour or not. I may tell you, this is very much question hour. आप सभी माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं। चौ. बीरेन्द्र सिंह जी आपको अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए क्वेश्चन आवर के बाद पूरा मौका दिय जाएगा और उस समय आप जो कुछ कहना चाहेंगे वह रिकार्ड पर भी आएगा। आप क्वेश्चन आवर समाप्त होने दें। Now this is upto to you. (Noise and Interruptions)

चौ. बीरेन्द्र सिंह जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आवर समाप्त होने में केवल आधा घंटा रह गया है। आप क्वेश्चन आवर को समाप्त हो लेने दें। उसके बाद पार्लियामेंटरी लैंग्वेज में जितना मर्जी बोल लेना, आपको पूरा समय दिया जायेगा।

10.00 बजे

Sh. Birender Singh: I never use unparliamentary language. Somebody else may be in the habit of using that language.

श्री कर्ण सिंह दलाल: इन्होंने मेरे बारे में कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया था। ये मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह: इन्होंने मुझ से कहा था (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I request all the members to maintain decorum in the House and I seek their cooperation to continue with the questions House.

श्री धर्मबीर गाबा: आप को—आप्रेषन की बात कर रहे हैं। आपने हमारे तीन आदमियों को तो निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठ जाएं। आपने जो बात कहनी है वह क्वेश्चन आवर समाप्त होने के बाद कर लें। फिर आपको बोलने के लिए फ्री हैण्ड दिया जायेगा (शोर एवं व्यवधान) अगर आप लोगों का यही इरादा है कि हाउस नहीं चलने देना तो अच्छी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी बैठिये। कांग्रेस पार्टी के लीडर, बी.जे.पी. के लीडर रामबिलास जी और हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से लीडर आफ दी हाउस मेरे चैम्बर में आकर मुझे से मिलें। अब हाउस 15 मिनट के लिए एडजर्न किया जाता है।

(The Sabha then adjourned and re-assembled at 10.18 am)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अनिल विज जी अपना सवाल पूछें। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने मीटिंग की थी (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अभी क्वेश्चन आवर चल रहा है, आप क्वेश्चन आवर के बाद अपनी बात कर लें। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता की ओर से कुछ बातें कही गई हैं, पहले चौ. बीरेन्द्र सिंह जी को उन बातों का जवाब देना है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: बीरेन्द्र सिंह को बोलने के लिए पूरा समय दिया जाएगा (विघ्न एवं शोर)

(इस समय कई माननीय सदस्य बोलने के लिए अपनी सीटों पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष: आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठने की कृपा करें। (विघ्न एवं शोर)

श्री जय सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: राणा साहब, आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न) जो कुछ ये बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

एक आवाज: आपने शार्ट नोटिस क्वैश्चन के बारे में कहा था।

श्री अध्यक्ष: आप सब बैठ जाएं। मैंने जो कुछ भी कहा था, उस बारे में मैं हाउस में रिपीट कर देता हूँ। बजन करतार देवी जी मेरे पास आई और मैंने इनसे कहा कि आप मिनिस्टर रही हैं, आप शार्ट नोटिस पर क्वैश्चन दीजिए आपका जवाब आ जाएगा। साथ में मैंने यह भी कहा है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लें और उनसे इस बारे में कह दें कि हमारे प्रश्न मान लिए जाएं। (शोर एवं व्यवधान) खुर्शीद अहमद जी आप मेरी बात सुनें। आप मिनिस्टर रहे हैं और आपको भी पता है कि शार्ट नोटिस क्वैश्चन पर अगर मंत्री सहमत होंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। बहन जी, कैप्टन अजय सिंह जी आप भी मिनिस्टर रहे हैं। How can I over rule the rules.

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने शार्ट नोटिस क्वैश्चन माने भी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सब बैठ जाएं। हमारे पास जो क्वैश्चन आए हैं, वे हमने मंत्रीगणों को भेजे हैं। उनमें से कुछ के जवाब आ गए हैं। कुछ के रह गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) माननीय अजय सिंह जी आपने जो प्रश्न दिए हैं, उनमें आपने यह नहीं

लिखा था कि यह शार्ट नोटिस प्रश्न हैं फिर भी हमने उनको गवर्नमेंट के पास भेजा है। कौप्टन साहब, आप पढ़े—लिखे हैं। उन पर आपको शार्ट नोटिस के प्रश्न लिखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Sh. Anil Vij: I have been allowed by the speaker to ask my question. Please let me ask my question.

श्रीमति करतार देवी: ****

Sh. Bansi Lal: Smt. Kartar Devi is casting aspersion on the Chair. It should be deleted from the record.

श्री अध्यक्ष: यह जो बहन जी ने कहा है इसको रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए मैं जनहित के मामले को यहां पर रखना चाहता हूं।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि हमारे क्वैश्चन लगाए जाएंगे। हमारे आनरेबल मैम्बर ने कई क्वैश्चन भेजे थे और वे लगे नहीं।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, जिन क्वैश्चयन की बहुत लम्बी जानकारी फील्ड से आनी है, उनके अलावा सभी प्रश्नों के जवाब आ चुके हैं। हम उन प्रश्नों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके बारे में जल्दी इन्फर्मेशन आ गई, तो वह हम हाउस में देंगे।

(Noise & Interruption)

Mr. Speaker: Please take your seat.

Canal Based Water Supply Scheme for Ambala Cantt.

***429. Sh. Anil Vij:** Will the Minister for Public Health be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Canal Based Water Supply Scheme for Ambala Cantt. and

(b) if so, the time by which the said scheme is likely to be materialized?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) जी हां,

(ख) इस योजना के चालू करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह आर्मी अथोरिटीज द्वारा जलघर के लिये भूमि देने पर निर्भर करेगा।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अम्बाला छावनी में कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में उत्तर दिया है तो वे इस बारे में विस्तार से बताएं कि यह योजना क्या है और इसके लिए कितनी धन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। वे यह भी बताएं कि क्या वह धन राशि हरियाणा सरकार उपलब्ध करवाएगी या फिर

किसी फाइनेंशियल इन्स्टीच्यूशन ने यह धन राशि उपलब्ध करवायी है। (शोर एवं व्यवधान) (At this stage the Members of the Indian National Congress Party continued speaking without permission.)

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, पहले हमें अपनी बात कहने दें। (शोर)

Mr. Speaker: Mr. Rana, Please take your seat.

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें।

Mr. Speaker: No please take your seat.

श्री सतपाल सांगवान: स्पीकर सर, यह हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इनसे कहें कि यह हाउस की कार्यवाही चलने दें। Sir, You may see their intention. What is their intention?

Mr. Speaker: I would request you all to please take your seats. (Noise & Interruptions).

Sh. Jai Singh Rana: Mr. Speaker, Sir. (Noise & Interruptions).

Agriculture Minister (Sh. Karan Singh Dalal): Sir, I beg to move –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sh. Satwinder Singh Rana.

Mr. Speaker: Motion moved –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sh. Satwinder Singh Rana.

(Interruptions and noise)

Mr. Speaker: Question is –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sh. Satwinder Singh Rana.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Sh. Karan Singh Dalal): Sir, I beg to move –

That Sh. Satiwander Singh Rana, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker: Motion moved –

That Sh. Satiwander Singh Rana, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

(Interruptions and noise)

Mr. Speaker: Question is –

That Sh. Satiwander Singh Rana, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Sh. Jai Singh Rana may please leave the House.

(At this stage Sh. Jai Singh Rana left the House)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, मेरी सप्लीमेंटरी का जवाब नहीं आया।

श्रीमती कस्तार देवी: स्पीकर साहब, राणा जी, ने ऐसी क्या बात कह दी जिसके कारण अपने उन्हें हाउस से बाहर निकाल दिया है। अगर आप इस तरह से ही करेंगे तो हम भी सारे यहां से चले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: बहन जी, आप बैठे ।

श्रीमती करतार देवी: स्पीकर सर, ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक मिनट में मोशन नहीं आना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): सर, असत्य बोलने वालों को कोई नहीं बचा सकता। ये असत्य बोलते हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता।

श्री अध्यक्ष: बहन जी, आप बैठिए। अगर आप अपनी बात कहने के लिए वास्तव में सीरियस है तो आप एक मिनट के लिए रुकें लेकिन अगर आप एक मिनट का भी इंतजार नहीं कर सकतीं तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी चीज के लिए सीरियस नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक घंटे से हाउस को नहीं चलने दिया है और फिर भी ये कहते हैं कि हम एकदम रैजोल्यूशन ले आते हैं। एक घंटा हो गया लेकिन इन्होंने हाउस नहीं चलने दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: स्पीकर साहब, मैं अपना क्वेश्चन दोबारा से कहने से पहले सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हम कम से कम वे लोकहित के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर तो चर्चा होने दे, ओर उनमें रुकावट न डालें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, चौ. वीरेन्द्र सिंह जैसे भी सदन की कार्यवाही में बाध्य डाल रहे हैं जबकि ये बहुत ही सीनियर मैम्बर है।

श्री अध्यक्ष: अब क्वेश्चन आवर खत्म होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के
लिखित उत्तर

Construction of Water Course

***356. Sh. Nafe Singh Rathee:** Will the Minister for Public Health be pleased to state the time by which the water course for bringing canal water to the water works of Jasaur Kheri (Rohtak) is likely to be constructed?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ): जसौर खेड़ी में स्थित जलघर (जो अब जिला झज्जर में पड़ता है) तक नहरी पानी लाने के मार्ग का निर्माण कार्य 30 नवम्बर, 1997 तक पूर्ण होने की संभावना है।

Setting up A sugar Mills at Beri

***377. Dr. Virender Pal Ahlawat:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Sugar Mill at Beri?

सहकारिता मंत्री (श्री नरवीर सिंह): नहीं, श्रीमान जी।

Construction of Roads

***435. Sh. Ramphal Kundu:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the time by which the following roads of Safidon constituency are likely to be repaired:-

(i) Hoshiarpura to Kalawati; and

(ii) Safidon canal to Bus Stand?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल):

(i) होशियारपुरा से कलावती सड़क की मुरम्मत का कार्य 31.3.98 तक किये जाने की सम्भावना है।

(ii) यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा नहीं बनाई गई है। यद्यपि जींद सफ़ीदों सड़क (नहर पुल) से रामपुरा सड़क तक की मुरम्मत का कार्य 13.10.97 तक किये जाने की सम्भावना है।

Allotment of Industrial Plots

***423. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Industries be pleased to state the district wise number of Industrial Plots allotted by the HSDC during the period 1st June, 1996 to 31st January, 1997 in the State?

उद्योग मंत्री (श्री शशिपाल मेहता): इस अवधि में हरियाणा राज्य औद्योगिक विका निगम द्वारा 22 प्लाट और 16 शौडों की अलाटमेंट की गई जिनका अनुसार विवरण इस प्रकार है:—

क्र.स.	जिले का नाम	प्लोटों की संख्या	शौडों की संख्या
1	गुड़गांव	13	6
2	फरीदाबाद		10
3	सोनीपत	1	
4	पानीपत	4	
5	रिवाडी	4	
	कुल जोड़	22	16

Water Supply Scheme

***357. Sh. Nafe Singh Rathee:** Will the Minister for Public Health be pleased to state time by which the construction work of the water supply scheme in village Loharheri (District Rohtak) is likely to be completed?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ): लोहाररेडी (अब जिला झज्जर में पड़ता है) को डकोरा जलघर से 1892 से पानी दिया जा रहा है। लोहारहेडी के लिए अलग जल वितरण योजना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

Construction of Roads

***436. Sh. Ramphal Kundu:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the time by which the construction work on the following roads of Safidon constituency is likely to be started:

- (i) Village Budakhera to Kalwa;
- (ii) Village Gangoli to Kharak Gagar; and
- (iii) Village Harwa to Bhagkhera?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): वर्ष 1997-98 में इन सड़कों के निर्माण का कार्य हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के विचाराधीन नहीं है।

Payment of Dividend

***413. Dr. Virender Pal Ahlawat:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state -

(a) the total amount of Share Capital of the farmers credited with the Haryana State Primary Land Development Bank upto December, 1996;

(b) the rate at which the dividend is being paid to the farmers as referred to in part (a) above;

(c) the dividend that comes on the above said amount from November, 1996 to 1996; and

(d) whether the payment of the said dividend is being paid to the farmers regularly; if not, the reasons thereof?

सहकारिता मंत्री (श्री राव नरबीर सिंह):

(क) 4148.50 लाख रुपये ।

(ख) व्यक्तिगत हिस्सों का 1 प्रतिशत से 9 प्रतिशत, यह लाभ की मात्रा का आधारित है ।

(ग) 49.80 लाख रुपये लाभांश घोशित किया है ।

(घ) कुछ घोशित 49.80 रुपये लाभांश के विरुद्ध 25.53 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है

सोनीपत तथा महेन्द्रगढ़ बैंकों ने वर्ष 1995-96 तक 24.27 लाख रुपये का भुगतान लाभांश वितरण की स्वीकृति मिलने पर करना है ।

Amount spent by H.R.D.F.

***393. Sh. Jai Singh Rana:** Will the Minister for Development & Panchayats be pleased to state the districtwise details of the amount spent from the H.R.D.F. during the year 1995-96 to-date?

Interim Reply

D.O. No. DM/97/Sp1.

“KANWAL SINGH

Development & Panchayats Minister,

Haryana, Chandigarh

Dated 19.7.1997

Subject: Starred Question No. 393 asked by Sh. Jai Singh Rana, M.L.A., regarding amount spent by HRDFAB.

Dear Sh. Chauhan,

Sh. Jai Singh Rana, M.L.A., vide Question No. 393 asked the following Question :-

***393 Sh. Jia Singh Rana, M.L.A.:** Will the Minister for Development & Panchayats be pleased to state the district-wise details of the amount spent from the HRDF during the the year 1995-96 to date?

The above question has been fixed for July 22, 97.

2. In this connection, it is submitted that HRDF Board has released a sum of Rs. 4848 lacs during the year 1995-96 for various rural developmental schemes/works to all the districts of the State. Out of this amount, utilization Certificates for Rs. 365 lacs have been received. Similarly, during the year 1996-97 and 1997-98, a sum of Rs. 3075 lacs and Rs. 178 lacs have been released respectively but no utilization certificates have been received. Teh execution of works lies with the field agencies.

3. The information regarding the amount actually spent by the above executing agencies is available with them and its collection in such a short span of period is not possible. It is, therefore, requested that at least two weeks time may kindly be granted so that desired information is collected from the field agencies.

With best regards.

Yours Sincerely,

Kanwal Singh

Sh.Chhatar Singh Chauhan,

The Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.”

वैयक्तिक स्पष्टीकरण –

श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा

Mr. Speaker: Now sh. Birender Singh will speak and he may please conclude within 10 minutes. (Interruptions)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, इनका एक ही मुद्दा है कि हाउस की कार्यवाही को कैस न चलने दिया जाए। (विघ्न)

Mr. Speaker: I request all the members to listen Sh. Birender Singh.

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज जो घटना हुई। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि आज का जो घटनाक्रम था, जैसी परिस्थिति बनी। (शोर एवं विघ्न) यह बात बिल्कुल दुरूस्त है कि जो आदमी ट्रेजरी बेंचिज पर बैठे हैं वे भी

अनरुली न हों। जैसे अभी आपने हमारे एक माननीय साथी श्री जय सिंह राणा को सदन से रैस्ट आफ दि सैशन के **** (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कैप्टल अजय सिंह जी आप शांत बैठ जाइए। आपकी पार्टी के आदमी बोल रहे हैं फिर भी आप शांत नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप सीरियस नहीं हैं। जो बात अभी बीरेन्द्र सिंह जी ने कही है कि स्पीकर ने जय सिंह राणा को निकाल दिया इसको रिकार्ड न किया जाए। यह मेरा फैसला नहीं है यह हाउस का फैसला है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, हाउस का फैसला भी आप द्वारा क्रियान्वित होता है। मैं तो यह कह रहा हूँ कि कुछ तो प्रथाएं ऐसी कायम करो। आप सिर्फ स्पीकर नहीं हो, आप प्रोफेसर भी हो (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, बीरेन्द्र सिंह जी आजकल भजन लाल जी की कम्पनी में हैं इसलिए ये वैसी ही बात कर रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह: मैं तो भजन लाल जी की कम्पनी में कभी भी नहीं होऊंगा लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों से पूरा सन्देह है कि कर्ण दलाल बड़े विचलित हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैं ट्रेजरी बेंचिज के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे विपक्ष के साथियों की तरह से सदन का

समय बर्बाद न करें। पहले ही सदन का एक घंटा बर्बाद हो चुका है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: सर, मैं दो तीन बातें क्लीयर करना चाहता हूँ (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैं सभी माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूँ कि हाउस की कार्यवाही ठीक चलने दें और चौ. बीरेन्द्र जी कोई ऐसी बात न कहें जो कंट्रोवर्शियल हो।

Sh. Birender Singh: Sir, I have a right to speak. I must give the explanation to satisfy the House about whatever has been said. (Interruptions)

एक आवाज: आप हिन्दी में बोलें।

श्री अध्यक्ष: उनकी अपनी मर्जी है वह किसी भी भाशा में बोलें (विघ्न) आप क्वेश्चन आवर के बारे में जो कुछ कहना चाहते हो वह कहें। Come to the point.

श्री बीरेन्द्र सिंह: क्वेश्चन आवर की बात जो मैं कहना चाहता हूँ उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। पहले मैं मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे बारे में बातें कहीं हैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। हकीकत तो यह है कि आप में से पता नहीं कितने लोकदल में थे फिर किसी और दल में थे तथा अब भाजपा में और आगे पता नहीं कहां होंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, खुर्शीद अहमद जी की प्रोसीडिंग में से मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कहीं। उसके बारे में मैं

यह जरूर कहूंगा कि बी.ए.सी. की मीटिंग अब चल रही थी उस वक्त मैंने यह बात कही कि आप इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने की बात कर रहे हैं जिनमें से एक विधेयक इलैक्ट्रिसिटी रिफॉर्म बिल के नाम से है जिसको आप पास कराने जा रहे हैं। वह हरियाणा के हितों से जुड़ा है, हरियाणा के किसानों से जुड़ा हुआ है और हरियाणा की जनता से जुड़ा है। (विघ्न)

Mr. Speaker: I again request all the members not to interrupt.

श्री बीरेन्द्र सिंह: सर, मैंने यह कहा कि इस सदन के चार माननीय सदस्य जो पिछले सदन में सदन की कार्यवाही से बाहर हो गये थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अगर एक घंटे से चुप रह जाते तो सदन का काम बड़ा अच्छा चल सकता था। (Interruptions)

श्री बीरेन्द्र सिंह: ये खासतौर से बिजली के निजिकरण के बारे में विधेयक लेकर आ रहे हैं। इस विधेयक का ताल्लुक हरियाणा के हर आदमी से जुड़ा हुआ है आप कृपया उन सदस्यों को जो सदन की कार्यवाही से बाहर हो गये थे सदन में बुलाने के लिए जरूर सोचें। (विघ्न) मैंने बी.ए.सी. की मीटिंग में भी इस बारे में मुख्यमंत्री जी को कहा था। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि वह कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जो कुछ भी इस बारे में बात करनी है, वह सदन में आकर के करें।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ आप उस मीटिंग को प्रिजइ ओवर कर रहे थे। उसमें मैं भी उपस्थित था, श्री रामबिलास शर्मा जी थे, श्री कर्ण सिंह दलाल जी थे और आपका स्टाफ भी उपस्थित था तथा चौ. बीरेन्द्र सिंह जी भी थे। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हूँ, ये शब्द मैंने बिल्कुल नहीं कहे कि मैं बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हूँ। जब इन्होंने पूछा कि क्या बिजली का निजीकरण करने जा रहे हैं, तो मैंने इनसे कहा कि हम बिजली का निजीकरण करने नहीं जा रहे हैं बल्कि हम सरकार की तीन कम्पनियां बनाने जा रहे हैं। एक कम्पनी तो जनरेशन की होगी, एक कम्पनी ट्रांसमिशन की होगी और एक कम्पनी डिस्ट्रीब्यूशन की होगी। अलबत्ता डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्टेट के चार जोन बनाएंगे तथा इन चार जोनों में से तीन में सरकार कम्पनियां ही चलाएंगे। चौथी कम्पनी एक ज्वाएंट वेंचर होगी जिसमें भी सरकार का पूरा हिस्सा होगा और दखल होगा। यह ब्यानबाजी जो चौ. बीरेन्द्र सिंह जी कर रहे हैं कि मैं सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, गलत है। अध्यक्ष महोदय, उस मीटिंग में आप भी बैठे थे, श्री रामबिलास शर्मा तथा श्री कर्णसिंह दलाल जी और दूसरे आपके स्टाफ के साथी भी उपस्थित थे। (शोर)

श्री अध्यक्ष: मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक बी.ए.सी. की मीटिंग की बात है, उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि मैं उस मीटिंग की बात सदन में नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यह जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी, वह मीटिंग शुरू होने से पहले की बात है। फिर आपने कहा कि अब मीटिंग करते हैं तथा फिर सोफों पर से उठकर मीटिंग की।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात सोफो पर बैठे हुए भी नहीं कही है। उस समय अध्यक्ष महोदय, आप भी वहाँ पर बैठे हुए थे। इनकी यह ब्यानबाजी बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद तथा सरासर गलत है और हाउस को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं है। (शोर)

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, बीरेन्द्र सिंह जी का कसूर नहीं है। जैसे इनके साथी होंगे, ये वैसी ही बात करेंगे। (शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि मैं प्राईवेट में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि यह हाउस की कमेटी है तथा उस कमेटी में हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह बात टेबल पर बैठे हुए ऐसी ही बातों-बातों में कही थी। यह इनकी बात ठीक है कि वह हाउस की कमेटी है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है।

There is no dispute on it. He is unnecessarily trying to mislead the House.

Sh. Birender Singh: If it is so then this matter can be brought to the Committee of the House. I am ready to face the ****

(Noise & Interruptions)

श्री अध्यक्ष: जो कुद चौ. बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं, that should not be recorded. क्योंकि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, इस सदन की कुछ गरिमा है। कल चौ. खुर्शीद अहमद जी ने एक बात बी.ए.सी. की मीटिंग के बारे में कही। हालांकि वे इस मीटिंग में नहीं थे। उस मीटिंग में चौ. बीरेन्द्र सिंह जी थी। अध्यक्ष महोदय, आप उस मीटिंग को प्रिजाइड ओवर कर रहे थे। जो बात ये कह रहे हैं, वह मीटिंग में नहीं हुई, उससे पहले ही हुई थी। एक तो उस मीटिंग की चर्चा सदन में करना दुर्भाग्यपूर्ण है, तथा यह ग्रेसफुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि चौ. खुर्शीद अहमद जी हालांकि उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, उन्होंने इतना बड़ा एलिंगेशन लगाया जिसकी कि किसी तरह भी सैंस नहीं थी। मीटिंग अच्छी तरह से सम्पन्न होने के पश्चात् आपसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चलें तो बीरेन्द्र सिंह जी कैटेगरिकली कहा है कि हमारी भी 11.00 बजे मीटिंग है। बहुत अच्छे वातावरण में वह मीटिंग सम्पन्न हुई थी। उसके बाद सभी लोग चले गए, हम भी

कैबिनेट मीटिंग में चले गए। अब इनके पास डिस्कशन के लिए कोई और मुद्दा नहीं है तो ये बी.ए.सी. की मीटिंग की चर्चा करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय साथी जिन सदस्यों को बुलाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए विपक्षी सदस्य हाई कोर्ट में गए हैं। हम माननीय हाई कोर्ट की हर बात का आदर करते हैं। परन्तु स्पीकर साहब आप जानते हैं कि the House is the master of its own. यह हाउस अपने प्रोसीजर के बारे में किसी से कोई गाइडेंस नहीं लेता। हाउस के गारडियन आप हैं, आपको कैटेगोरिकली पावर्ज हैं, आप परिस्थिति को समझ कर बात कर सकते हैं। माननीय सदस्यों की कल बी.ए.सी. की मीटिंग में कोई बात नहीं हुई फिर भी ऐसी चर्चा करें और हाउस ने नेता को कहे। मैं इनका ध्यान संविधान के आर्टिकल 213 की तरफ दिलाना चाहूंगा। जिस आर्डिनैस के बारे में ये बात कह रहे हैं। इसमें गवर्नर साहब को ये पावर्ज दी हुई है कि वे कभी भी किसी भी समय किसी भी आर्डिनैस को विद्व्रा कर सकते हैं। जहां तक बिजली की बात का ताल्लुक है, हम उस बारे में एक बिल लेकर आएंगे आप उस पर अपनी बात कहें। आप चाहे उस बारे में सरकार की आलोचना करें और उसमें जो कमियां हों उनके बारे में कहें, हम आपका स्वागत करेंगे। यह बात माननीय अपोजीशन के सदस्यों को शोभा नहीं देती जैसे ये कल हाउस के अन्दर नारे लगा रहे थे। इनको यह बात भी शोभा नहीं देती कि हर बात में चेयर पर एसपर्शन करें यह अच्छा नहीं लगता। It is not graceful.

श्री अध्यक्ष: कल चौ. खुर्शीद अहमद जी ने कहा कि Chief Minister walks out from the meeting of the B.A.C. with his members. That was beyond the fact and that portion must be deleted.

Sh. Birender Singh: Mr. Speaker, I am not casting aspersion on the Chair. This I am clarrifying sir.

Mr. Speaker: Ch. Birender Singh Ji, Please take your seat.

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आप यह न समझें that I am casting aspersion onthe Chair.

श्री अध्यक्ष: चौ. बीरेन्द्र सिंह, आप बहुत पुराने विधायक हैं और सांसद रहे हैं। चौ. खुर्शीद अहमद जी भी बहुत पुराने विधायक हैं और एम.पी. रहे हैं। खुर्शीद जी आपने कली जो बात कही that was with reference to B.A.C. meeting. That has been expunged and that was most unfortunate. You should not have uttered something which did not happen in B.A.C. meeting.

Sh. Khurshied Ahmed: But there should not be any debate on that point when the same has been expunged.

Sh. Bansi Lal: That is right Sir, that there should not be any debate on an expunged portion but he has certainly misled the House. (Noise & Interruptions). He has tried to mislead the House by making wrong statement on the floor of the House.

Sh. Khurshid Ahmed: Speaker Sir, the leader of the House has misled the House by violating the Constitution.

वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता,

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।

श्री अध्यक्ष: आप बी.ए.सी. की मीटिंग के बारे में यहां कोई चर्चा न करें because that portion has been expunged.

Sh. Khurshid Ahmed: That has been expunged Sir, but there should be not debate on that.

Sh. Birender Singh: Mr. Speaker, Sir, I am starting afresh because the Education Minister has referred about the articles of the Constitution.

Mr. Speaker: Ch. Sahib, you please conclude your point within 5 minutes.

Sh. Birender Singh: Speaker Sir, Prof. Ram Bilas Sharma has raised very important point and he referred to article 212 and 213 of the Constitution. I would also like to refer those articles. लेकिन कुछ मैम्बर यहां पर अनपढ़ हों तो मैं उनको क्या बताऊं। (शोर)

Sh. Sat Pal Sangwan: I am more literate than Ch. Birender Singh. He is very much educated but he cannot say other members as Unpadh. I can show my certificates and he should also show his certificates than you can judge as to who is more educated.

Sh. Birender Singh: Who is educated and who is not educated this is not the question here and I had not said this thing about any particular member.

Sh. Sat Pal Sangwan: You had said this thing pointing at me.

Sh. Birender Singh: No, No, I had not said anything against you. (Noise & Interruptions.) Article 212 of the Constitution of India is very clear. It says -

“Validity of any proceedings in the Legislature of the State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure...”

Sh. Sat pal Sangwan: Speaker, Sir, please ask Sh. Birender Singh to tell us what he wants to say.

Sh. Birender Singh: Speaker, Sir, I must say that by inciting, he has improved. He has started behaving well. That is good.

Sh. Ram Bilas Sharma: Speaker Sir, our constitution does not say anything about illiterate and literate.

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, अभी तो आर्डिनैस सदन के अन्दर आया ही नहीं है। अज आयेगा उस वक्त ये चर्चा कर लें।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, ये कुछ भी चर्चा करें कोई बात नहीं लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती। (शोर एवं विधन)

Sh. Ram Sharma: Speaker Sir, I again repeat our constitutinal provisions as contained in Article 212 of the Constitution, स्पीकर साहब, सदन का सेशन चल रहा है। सदन अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने की स्थिति में है। माननीय सदस्य जो चर्चा करना चाहते हैं उस पर मैं कहना चाहूंगा कि इनका सदन पर विश्वास नहीं है। वे अदालत में खड़े हैं। हम अदालत का पूरा सम्मान करते हैं। Article 212 of the Constitution provides that the courts should not inquire into the proceedings of the Legislature of the State. अब डे टू डे जो प्रोसीजर है, सदन की जो कार्यवाही है वह आर्टिकल 212 से संबंधित है। इसमें बड़ा क्रिसटल कलियर है कि कोई इन मामलों में इन्कवायर नहीं करेगी। यह हमारे संविधान का प्रावधान है। लेकिन उन्होंने सदन में विश्वास नहीं किया और कोर्ट में चले गए। अब मामला सबजुडिस है। अब इस पर ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए।

Sh. Birender Singh: Speaker, Sir, my submission is very clear. I have gone through the provisions of Article 212 of the Constitution. It says in the case of procedure but whatever we were saying here yesterday, that was very clear that convening of the House is illegal because this Government has promulgated two ordinances when the House was in Session.

Agriculture Minister (Sh. Karan Singh Dalal):
Speaker, Sir, why not he also go to the court and argue the matter in the court? Why is he wasting the time of the House? He should go to the court and argue there.

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, बी.ए.सी. की मीटिंग की बात तो खत्म हो चुकी है। अब मेरी दरखास्त है कि आज का बिजनैस ले लें और हाउस की कार्यवाही आगे चलाएं।

श्री अध्यक्ष: चौ. साहब, आपको बोलते हुए 23 मिनट हो गए हैं लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं कहा।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, कोई ऐसी मशीन हो जिससे यह पता चल सके कि कौन कितना बोला है, तो चैक करवा लें। मैं इन 23 मिनट्स में से मुश्किल से छः मिनट बोला हूंगा बाकि के 17 मिनट तो इन्होंने ही ले लिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। आज जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप 5 मिनट में अपनी बात खत्म करें नहीं तो फिर मैं अगली आइटम को टेक अप करता हूँ।

श्री बीरेन्द्र सिंह: सर, मैं कोशिश करूंगा। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने एक बात सदन में कही जिसका कि कोई रैलेवेंस नहीं था। सी.एम. साहब ने कहा कि मैं भजन लाल से मिला। मैं राजनीतिक तौर पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि(शोर एवं व्यवधान)

Sh. Sat Pal Sangwan: Sir, You also know what Sh. Birender Singh has done in the past?

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक तौर पर जो राजनैतिक मर्यादाएं हैं, जो राजनैतिक मूल्य हैं उनके साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया है (विधन एव शोर)

Sh. Sat Pal Sangwan: Today he is with Ch. Bhajan Lal. Next day he will be with Bhupinder Singh Hooda. He is changing his party again and again.

श्रीमती करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का वातावरण यहां पर है ऐसे में तो कोई एक मिनट भी बोल नहीं सकता। (विधन एवं शोर) ****

श्री अध्यक्ष: करतार देवी जी बोल रही हैं वह बिना परमिशन के बोल रही हैं इसलिए उनकी बात रिकार्ड न की जाए। चेयर की परमिशन के बिना जो भी बोला जाए उस रिकार्ड न किया जाए। (विधन)

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक तौर पर मैं किसी न किसी सदन का सदस्य रहा हूँ लेकिन मैंने राजनैतिक मर्यादाओं का अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया (विधन एवं शोर)

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, 1985 में हमारे मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के सदस्य थे और केन्द्र में रेल मंत्री थे। उस वक्त मुझे हरियाणा का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था (विधन) स्वर्गीय राजीव गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वर्ष 1985 में मुझे हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। (विधन) अध्यक्ष महोदय, चौ. भजन लाल जी के मंत्रिमण्डल में मुझे शामिल किया गया था और एग्रीकल्चर का महकमा मुझे दिया गया था। उसके दस दिन बात मुझे राजीव गांधी जी ने बुलाकर कहा था कि चौ. बंसी लाल जी अपने बेटे को चौ. भजन लाल जी के मंत्रिमण्डल में मंत्री बनाना चाहते हैं। (विधन एवं शोर)

10.00 बजे

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, चौ. बीरेन्द्र सिंह जी जो कह रहे हैं वह सब बेबुनियाद और गलत बात कह रहे हैं। हकीकत यह है कि सुरेन्द्र सिंह को 11.00 बजे जो मिनिस्टर बनाया गया उस बारे में इन्दिरा जी ने पहले मुझे बुलाया और कहा कि सुरेन्द्र को मिनिस्टर बनाओं तो मैंने कहा कि वह भजन लाल की हकूमत में मिनिस्टर नहीं बनेगा। दोबारा फिर मुझे बुलाया गया और मैंने फिर इन्कार कर दिया। उससे पहले हरियाणा भवन दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी उसमें श्री भगवद आजाद और चन्दु लाल चन्द्राकर से सुरेन्द्र सिंह से कहा था कि

कांग्रेस के प्रैजिडेंट क आदेश हैं, कि तुम भजन लाल का नाम पेश करोगे। सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रैजिडेंट के आदेश हैं, ठीक है लेकिन भजन लाल का नाम कोई और पेश कर देगा। मुझे तो तोशाम के लोगों ने भजन लाल के अगैस्ट जीता कर भेजा है। मैं उसका नाम परपोज नहीं करता। (विघ्न) इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सुरेन्द्र सिंह को मिनिस्टर बनना पड़ेगा यह मेरा आदेश है तो मेरा कहा कि ठीक है। उन्होंने मिनिस्टर बना दिया और जिस दिन सुरेन्द्र सिंह ने ओथ ली, हमारे घर से कोई मैम्बर ओथ में नहीं गया था। इस बारे में स्टेटसमैन अखबार में फ्रंट पेज पर छपा था कि मिनिस्टर ने रोते रोते ओथ ली। उस वक्त बीरेन्द्र सिंह सुरेन्द्र के साथ थे कि मैं इस्तीफा दूंगा ओर जब सबने इस्तीफा दे दिया तो बीरेन्द्र सिंह भाग लिया। ये लौट कर नहीं आया। (हंसी) आज ये इल्जाम लगाते हैं। (शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह: मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब 1982 में नाम परपोज करने से तो इन्कार कर दिया था और उसके 10 दिन बाद ओथ लेने से इन्कार नहीं कर सकते थे। उस वक्त क्यों नहीं इन्कार किया। क्यों ओथ ली?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा जी ने मुझे दो बार कहा था और एक बार आदेश दिए थे। तो उस वक्त हम कांग्रेस में थे, हम डिस्सीप्लन में थे ओर हमने उनके आदेश का माना।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अगर डिस्सीप्लन में थे तो जब कांग्रेस प्रैजिडेंट ने नाम परपोज करने को कहा था तो उनके आदेश क्यों नहीं माने? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी यह कहता हूँ कि राजनीति के अन्दर जो मर्यादाएं हैं, जो मूल्य हैं, उनके लिए भजन लाल, बंसी लाल या कोई और भी लाल हो मैं उनके साथ समझौता नहीं कर सकता। (शोर)

श्री अध्यक्ष: चौ. बीरेन्द्र सिंह जी आपने और आपकी पार्टी के सदस्यों ने एक घंटे तक प्रश्न काल नहीं चलने दिया। अब आपको बोलते हुए 34 मिनट हो गए हैं लेकिन अब आप यह बताएं कि what was the matter.

Sh. Birender Singh: Sir, what I started I quoted article 212 which has already been quoted. (Noise & Interruptions).

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कुकर्मों के कारण आज इनकी क्या हालत है वह सारा देश जानता है। अब इनका नेता लालू यादव बन गया है। (शोर एवं व्यवधान) यह तो सारा देश देख रहा है आप क्या बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब, जिस पार्टी का प्रधान मंत्री हुआ आदमी सी.बी.आई. के सामने खड़ा हो, उस पार्टी का क्या कहना। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने से यह कैप्टन अजय सिंह के कहने से सच झूठ नहीं हो सकता है। जिस पार्टी के प्रधान के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री पर और

आरोप लगा हो और जिस पार्टी के कैबिनेट के मंत्रियों के कच्चे निकाले जाएं और रजाई के खोलों में से नोट निकलने हों, उनके बारे में क्या कहना। स्पीकर साहब, सी.बी.आई. ही नहीं सी.आई.ए. ने जब सुख राम को पेश किया तो अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि जब कोई चोर सख्त हो तो उससे सच बुलाने के लिए उसे लाई डिटेक्टर के आगे लाते हैं। आज सारा देश जानता है कि आज इनके नेता लालू प्रसाद यादव हैं। स्पीकर सर, एक अबखार वाले ने लिखा है कि जब लालू यादव ने कहा गया कि आप मौरल ग्राउंड पर रिजाइन करें तो लालू यादव ने उल्टे पत्रकारों का डांटा ओर कहा कि पोलो ग्राउंड होता है, फुटबाल ग्राउंड होता है ओर जुडो ग्राउंड होता है लेकिन मौरल ग्राउंड कौन सा होता है। तो सर, आजकल इस तरह के लोग इनके नेता हैं और आजकल सीताराम केसरी भी इस तरह के नेता के हिसाब से चल रहे हैं।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इनके पास कहने को कुछ नहीं है और ये भागने की तैयारी में हैं। हम तो यह चाहते हैं कि ये यहां पर बैठें और अपनी अपनी बात कहें तथा उसके बाद फिर हमारी भी दो बातें सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चौ. बीरेन्द्र सिंह, बहन करतार देवी और गाबा साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि यदि बिजली बोर्ड को हम बेच रहे हों तब तो ये हमें कह सकते हैं लेकिन ये तो बिजली बोर्ड के बारे में बोलना ही नहीं चाहते बल्कि ये भागना चाहते हैं। ये उस

मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हमने जो हरियाणा की जनता के लिए बिजली बोर्ड में काम किया है उसके बारे में ये हमें बताएं। उस पर ये सदन में बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

वाक आउट

श्री अध्यक्ष: कप्तान साहब, आप बैठें, अब चौ. खुर्शीद अहमद जी बोलेंगे।

श्री खुर्शीद अहमद: स्पीकर सर, ये जितने सच्चे हैं वह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आज मैं बिल्कुल हिन्दी में ही बोलूंगा। (विध्न) उर्दू में भी बोल सकता हूँ। हम आपकी ही बात मान लेते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, खुर्शीद अहमद साहब, नयी नयी पार्टीज और नयी नयी भाशा पसन्द करते हैं। कभी ये हिन्दी में बोलते हैं, कभी अंग्रेजी में बोलते हैं और कभी उर्दू में बोलते हैं लेकिन इन्हें जो भी भाशा अच्छी लगे उसमें ये बोलें हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री खुर्शीद अहमद: अध्यक्ष महोदय, अभी हाउस के सामने हमारे साथियों ने जो मुद्दा उठाया था उसके बारे में मैं आपके सामने एक ही बात रखूंगा। आज जो यह हरियाणा में बिजली का प्राइवेटाईजेशन करने के लिए बिल लाया जा रहा है और जो यह आज बिजली के क्षेत्र में प्राइवेट कम्पनियों की

शिरकत करायी जा रही है तो इसके विरोध में कम से कम हम अपनी पार्टी की तरफ से इसके साथ एसोशिएट नहीं कर सकते। आज हरियाणा की जनता के हकों को हमेशा के लिए प्राइवेट कम्पनीज के हाथों में बेचा जा रहा है।

श्री रामबिलास शर्मा: स्पीकर सर, चौ. खुर्शीद अहमद जी ने ठीक ही कहा कि वह इसमें शिरकत नहीं करना चाहते परन्तु मैं आपके माध्यम से इनसे दरखास्त करूंगा कि बेशक वे इसके बारे में हमारी आलोचना करें और चाहे फिर ये वाक आउट भी कर जाएं लेकिन कम से कम हमें यह तो बताएं कि वे इस बिल पर क्यों नहीं शिरकत करना चाहते। क्या ये हरियाणा में बिजली पैदा करने के हक में नहीं हैं, क्या ये हरियाणा की जनता के टयूबवैल्ज चलाने के हक में नहीं है? आज हरियाणा में चार हजार करोड़ यूनिट बिजली की जरूरत है। पिछले 15 सालों से हरियाणा में किसी भी सरकार ने एक भी यूनिट बिजली पैदा करने का प्रयास नहीं किया है। हरियाणा में बिजली की जरूरत तो चार हजार करोड़ यूनिट की है जबकि हरियाणा केवल एक करोड़ अस्सी लाख यूनिट ही बिजली जनरेट करता है। इसलिए मेरी इनसे दरखास्त है कि वे जितनी हमारी इस बारे में निंदा करना चाहते हैं करें लेकिन वे इस बारे में सारे सदन को और सारी हरियाणा की जनता को बताएं कि इस बोर में उनका क्या नजरिया है। इसके बाद फिर वे इसमें शिरकत न करें तो कोई बात नहीं है।

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा): स्पीकर सर, कांग्रेस ने नेताओं ने कहा कि प्राइवेटाईजेशन के मामले के अन्दर हम किसी लेवल पर किसी पाइन्ट पर ऐडजस्ट नहीं करना चाहते। खुर्शीद अहमद साहब अभी कांग्रेस में आए हैं उससे पहले जब कांग्रेस का राज था तो उस वक्त आइजनबर्ग की कंपनी के साथ बहन करतार देवी ने समझौता किया था। (शोर एवं विघ्न)

श्रीमती करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: श्रीमती करतार देवी जो कुछ कह रही हैं वह रिकार्ड न किया जाए। बहन जी, आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनी राम गोदारा: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम कोई कंसर्न नहीं रखना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मैम्बर श्री खुर्शीद अहमद से पूछना चाहूंगा जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं तो हमको इसमें ये ऐसी कोई क्लॉज दिखाएं तो सही। किसी जगह ये ऐसी क्लॉज दिखा दें। अब ये भाग रहे हैं क्योंकि इनके पास कहने को तो कुछ नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम ऐज ए प्रौटेटस सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए)

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर सर, इससे ज्यादा उत्तरहीन, इससे ज्यादा तर्कहीन बात और क्या होगी कि हरियाणा के लोगों के दुखदर्द के साथ इनका कोई सरोकार नहीं है। आज चुनौती को इन्होंने स्पीकार नहीं किया, ये मैदान छोड़कर भागे हैं।

वर्ष 1992-93 की एक्सैस डिमांडज ओवर ग्रांटस एंड एप्रोप्रिएशंज पर चर्चा तथा मतदान।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussion and voting on the excess demands over grants and appropriations for the year 1992-93 will take place. As per the past practice, in order to save the time of the House all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 485152 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1992-93 in respect of Excise & Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 147907720 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1992-93 in respect of Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2323930 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1992-93 in respect of Building & Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 810832 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1992-93 in respect of Medical & Public Health.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 601355 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1992-93 in respect of Food & Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 152504637 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1992-93 in respect of Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 381000 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1992-93 in respect of Industries.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 117778792 be made to regularise the charge already incurred

in excess of the grant voted by the Legislative Aseembly for the year 1992-93 in respect of Taxation.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker: Now I shall put various demands to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is -

That a grant of a sum not exceedings Rs. **485152** be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Aseembly for the year 1992-93 in respect of **Excise & Taxation**.

That a grant of a sum not exceedings Rs. **147907270** be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Aseembly for the year 1992-93 in respect of **Finance**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Questions -

That a grant of a sum not exceedings Rs. 2323930 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Aseembly for the year 1992-93 in respect of Building & Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Questions -

That a grant of a sum not exceedings Rs. 810832 be made to regularise the charge already incurred in excess of

the grant voted by the Legislative Aseembly for the year 1992-93 in respect of Medical & Public Health.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Questions –

That a grant of a sum not exceedings Rs. 601355 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Aseembly for the year 1992-93 in respect of Food & Supplies.

That a grant of a sum not exceedings Rs. 152504637 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Aseembly for the year 1992-93 in respect of Irrigation.

That a grant of a sum not exceedings Rs. 381000 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Aseembly for the year 1992-93 in respect of Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That a grant of a sum not exceedings Rs. 117778792 be made to regularise the charge already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Aseembly for the year 1992-93 in respect of Taxation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon'ble members, now the Town and Country Planning Minister will move a resolution.

Town and Country Planning Minister (Seth Sri Kishan Dass): Sir, I beg to move –

That this House recommends to the State Government that appropriate steps be taken to approach the Central Government that Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 be suitably amended or repealed as per provisions of Article 252(2) of the Constitution of India in the event of its repeal, it may be left to the individual State Government to enact suitable legislation as per their local needs.

Mr. Speaker: Motion moved –

That this House recommends to the State Government that appropriate steps be taken to approach the Central Government that Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 be suitably amended or repealed as per provisions of Article 252(2) of the Constitution of India in the event of its repeal, it may be left to the individual State Government to enact suitable legislation as per their local needs.

Mr. Speaker: Question is –

That this House recommends to the State Government that appropriate steps be taken to approach the Central Government that Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 be suitably amended or repealed as per provisions of Article 252(2) of the Constitution of India in the event of its repeal, it may be left to the individual State Government to enact suitable legislation as per their local needs.

The motion was carried.

(At this stage Hon'ble Deputy Speaker occupied the Chair)

दि हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रिफ़ॉर्म बिल, 1997

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will introduce the Haryana State Electricity Reform Bill, 1997 and also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Sir, I introduce the Haryana State Electricity Reform Bill, 1997.

I also move -

That the Haryana State Electricity Reform Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved -

That the Haryana State Electricity Reform Bill be taken into consideration at once.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदय, जिस बारे में हम ने हमारे सदन के दूसरे माननीय साथियों के साथ चर्चा की तथा जिस मुद्दे पर हमारे विपक्ष के माननीय साथी सदन के अन्दर और सदन के बाहर लगातार एक बेबुनियाद राग अलाप रहे थे, डिप्टी स्पीकर सर, आपके देखा है कि हमने उस बारे में उनका आह्वान किया तथा उनसे निवेदन किया तथा आज भी रिपीटिडली कहा कि इस विधेयक पर जो-जो आपके पास हमारे खिलाफ जानकारी है, जो-जो आपके पास इस संबंध में आलोचना के बिन्दु हैं, वे हमारे हित के लिए व हरियाणा प्रान्त के हित के लिए आप जरूर कहें। लेकिन उनका व्यवहार इस बात का सबूत है कि उन के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष

महोदय, साल भर पहले यह हरियाणा विकास पार्टी—भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ आजाद विधायकों के सहयोग से चौ. बंसी लाल के नेतृत्व में बनी थी। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 15 सालों में हरियाणा राज्य को 4 करोड़ यूनिट बिजली हर रोज चाहिए। प्रदेश में ट्यूबवैल चलाने के लिए, आटा पीसने के लिए, पशुओं के लिए चारा काटने के लिए, दूध बिलोने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पानी का ठण्डा व गर्म करने के लिए तथा कमरों को ठण्डा व गर्म करने के लिए हर रोज 4 करोड़ यूनिट बिजली चाहिए। हरियाणा में थर्मल और हाईडल दोनों को मिलाकर लगभग 1 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध है। चौ. बंसी लाल जी के नेतृत्व में जिस दिन इस सरकार ने बागडौर संभाली, सबसे ज्यादा खराब हालत हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की थी। चूंकि बिजली के कारण आम जन-जीवन प्रभावित होता है, किसानों की फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है, विवाद-शादियों का माहौल प्रभावित होता है, कारखानों का उत्पादन प्रभावित होता है, इसलिए चौ. बंसी लाल जी के पुराने अनुभव के आधार पर कि हर गांव में बिजली व सड़कें कैसे उपलब्ध कराई जाएं, हमारी सरकार ने उनके नेतृत्व में यह उपाय सुझाए कि बिजली का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि अकेला बिजली बोर्ड 3300 करोड़ रुपये के घाटे में था। तत्पश्चात् हर रोज बिजली बोर्ड की परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया। सारी दुनिया में जो कंपनियों बिजली पैदा कर सकती है, उनको पत्र

लिखे गए। जैसे कि गोदारा साहब ने बताया है कि पिछली सरकार ने आइज्जन्बर्ग व ए.बी.बी. कंपनियों के साथ इस संबंध में कुछ दस्तखत वगैरह किए हुए थे। उपाध्यक्ष महोदय, जिन कम्पनियों के साथ पिछली सरकार ने दस्तखत किए हुए थे। हमने उसमें आगे की कार्यवाई की। बिजली के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान हमारे पानीपत के 4 थर्मल प्लांटस का है, जिनकी कैपेसिटी 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय ने एक्सपर्टस के साथ बैठकर एक सब-कमेटी बनाई। उन एक्सपर्टस के साथ हरियाणा केबिनेट की भी कोई 20-25 बार मीटिंग हुई है कि हरियाणा में बिजली के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता। डिप्टी स्पीकर सर, बड़ी हैरानी की बात है कि इस छोटे से प्रान्त में बिजली के 32 प्रतिशत लाईन-लौसिज हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 100 यूनिट बिजली अगर डिस्वार्ज करेंगे तो उसमें से 32 यूनिट बिजली का पता ही नहीं चलता है कि वह बिजली की तारों में कहां रह जाती है। इस प्रकार से यह महसूस किया गया कि हरियाणा प्रदेश का यदि विकास करना चाहते हैं, हरियाणा में आम जन-जीवन को यदि सुव्यवस्थित रखना चाहते हैं, हरियाणा में यदि कारखानों का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, हरियाणा में यदि रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहते हैं, हरियाणा में खेती के उत्पादन को यदि बढ़ाना चाहते हैं तथा इस प्रदेश के घरों को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जरूरत बिजली की है। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले 9 साल में कोई भी सरकार हरियाणा प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए कोई

संयत्र नहीं लगा सकी। हमें बिजली बोर्ड लगभग 3300 करोड़ रूपए के घाटे में मिला था। हमारे प्रदेश का किसान बिजली की बुरी हालत के कारण आन्दोलित था और उस समय की चौ. भजन लाल की सरकार में बीसियों किसानों की जाने बिजली की मांग करते हुए गई थी। उस समय भिवानी जिले के कादमा गांव के 6 किसान गोली से मरे थे। करनाल जिले के नीसिंग गांव के चार किसान बिजली की मांग करते हुए मरे थे। टोहाना में बिजली पानी की मांग करते हुए तीन किसान मरे थे। नारनौल में 10 अगस्त को बिजली पानी की मांग करते हुए दो किसान मरे थे। नारनौंद में बिजली पानी की मांग करते हुए तीन किसान मरे थे। डिप्टी स्पीकर साहब, उस बात को इस सरकार ने सबसे पहली प्राथमिकता पर देखा। आज हरियाणा प्रदेश में हर किसान, हर कर्मचारी, हर शहरी और हर व्यापारी को बिजली की सबसे पहली आवश्यकता है। हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग को आज बिजली पानी की सबसे पहली आवश्यकता है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में पानी का स्तर लगाआर नीचे जा रहा है। चाहे वह कुरुक्षेत्र का ईलाका है और चाहे नारनौल का ईलाका है। कहीं पर 200 फुट पानी का स्तर नीचे चला गया है और कहीं पर 50 फुट नीचे चला गया है। हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों की सारी आवश्यकताओं को देखते हुए बिजली के उत्पादन को प्राथमिकता दी है। बिजली उत्पादन के बारे में पिछली सरकार जो फैसले करके गई थी हमने उन फैसलों को फिर से देखा। पिछली सरकार ने पानीपत के चार थर्मल पावर प्लांटस के बारे में ए.बी.बी. के साथ जो समझौता किया था उसके

बारे में हमने रिकार्ड से देखा और हमने बिजली उत्पादन के बारे में उन चार कम्पनियों से फिर आवेदन किया है। हमने उन चारों कम्पनियों को एक बार नहीं दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं बल्कि 10 बार बुलाया और उसके बाद एक्सपर्ट्स की जो राय है, रिजर्व बैंक की जो राय है उसके हिसाब से उस कम्पनी को यह काम दिया गया है। उस कम्पनी ने बिजली के उत्पादन के मामले में विश्व में इसतरह के कइ सफल आयोजन किए हैं। उस कम्पनी ने बिजली के उत्पादन के काम किए हैं। उसमें रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट हैं, उनकी एजेंसी की जो राय है और उनके एक्सपर्ट्स की जो राय है उस आधार पर यह निर्णय लिया गया है। पानीपत थर्मल प्लांट के छठे यूनिट के लगभग 100 करोड़ रुपये के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे इस तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। एक तरफ तो हरियाणा प्रदेश के गरीब किसानों की गाढ़े खून पसीने की कमाई के 100 करोड़ रुपये के बिजली उत्पादन करने के औजार बिना इस्तेमाल किए हुए पड़े हों ओर दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के गरीब किसान बिना बिजली के तरसें। इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विपक्ष के भाईयों ने, हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन के साथ बिजली की जो बात जुड़ी हुई है, बिजली जो हरियाणा प्रदेश के लोगो को जीवन प्रदान करती है उसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की कि उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। बिजली उत्पादन के लिए हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक प्राथमिकता दी है। हमारी

सरकार के सामने इतने संकट होने के बावजूद भी हमने बिजली के उत्पादन के लिए काम किया है। हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ हम विपक्ष के भाईयों से यह उम्मीद करते थे कि ये भी हमारी इस पहल का समर्थन करेंगे, हमारी इस प्राथमिकता का समर्थन करेंगे लेकिन इनका हरियाणा प्रदेश के लोगों की सुख सुविधा की तरफ कोई लगाव नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। विपक्ष की एक भूमिका होती है। सदन में विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। हमने अपने राजनैतिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा विपक्ष में बैठकर बिताया है। हमने विपक्ष में होते हुए भी सरकार के ऐसे प्रस्तावों को समर्थन किया है जो हरियाणा प्रदेश के हितों से संबंधित थे। हमने विपक्ष में होते हुए इसी सदन में एस.वाई.एल. कैनल के मुद्दे पर जब चौ. भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे, यह कहा था कि आप एस.वाई.एल. कैनल को कम्पलीट करवाने के बारे में एक प्रस्ताव पास करें हम आपके साथ मिल कर चलेंगे। उस समय चौ. बंसी लाल समेत हम सभी विपक्ष के सदस्यों ने अपनी तरफ से उनको यह आह्वान किया था। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने चौ. बंसी लाल जी के नेतृत्व में बिजली के उत्पादन के काम को बहुत अहमियत दी है। बाकी सारे प्रान्त इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि किस तरह से पानीपत थर्मल प्लांट की 400 मैगावाट की कैपेसिटी बढ़ाई। इसी प्रकार से फरीदाबाद के 400 मैगावाट गैस पर आधारित संयंत्र की एप्रूवल मुख्यमंत्री महोदय ने दिन रात एक करके प्रधानमंत्री से ली। यह काम सारे हरियाणा

प्रांत के लिए बिजली की जरूरत को देखते हुए किया गया है और इसीलिए बिजली का अधिक उत्पादन हमने करना है। बिजली कैसे हमारे प्रान्त में अधिक पैदा हो सके, एक भी सुझाव उनकी तरफ से भी नहीं आया है। बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये जो कागजात हैं, ये सारे के सारे भजन लाल के हाथों से निकले हुए हैं। फर्क इतना है कि उन्होंने आइजनबर्ग की एक ऐसी कम्पनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया था जो ब्लैक लिस्टिड थी। इस कम्पनी को केन्द्र की सरकार ने कभी एप्रूव नहीं किया। इस कम्पनी का मेन धन्धा बच्चों को बहलाने वाले खिलौने बनाने का था। डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली उत्पादन का काम एक बहुत बड़ा काम है। हमने और हमारी केन्द्र की सरकार के अनुमोदित एक्सपर्ट्स ने यह राय दी कि बिजली उत्पादन का काम उसी कम्पनी को दिया सकता है जो इस क्षेत्र में कई वर्षों से कम कर रही हो यानि उसको अनुभव हो। जिस कम्पनी ने इतनी बड़ी कैपेसिटी में किसी दूसरी जगह पर या किसी राज्य में ऐसा कोई बड़ा संयंत्र लगाया हो, उसी को यह काम यिदा जा सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने उनको प्राथमिकता दी। यह ड्राफ्ट फरवरी 1996 में एप्रूव हुआ था। पिछली गवर्नमेंट की तरफ से यह एप्रूव हुआ है। परन्तु वे इसे कर नहीं पाये क्योंकि जिस कम्पनी के साथ वे समझौता करना चाहते थे उस पर चारों तरफ से संदेह व्यक्त हो रहा था और भारत सरकार ने भी उस पर संदेह व्यक्त किया है। हम चाहते थे कि इस मामले में हमारे परिश्रम में कोई कमी रह गई हो तो वे कुछ सुझाव देते। वे कोई मुद्दा लेकर आते। हमारे

से कोई गलती हो सकती है क्योंकि हम इंसान हैं। परन्तु उन मित्रों की इस मुद्दे पर कोई रुचि नहीं थी। मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूँ कि आज यह सरकार जो बिजली का विधेयक लेकर आई है इसमें न तो बिजली बोर्ड के प्राइवेटाईजेशन करते की बात है और न ही बोर्ड को बेचने की बात है। इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। It is an improvement in the electricity generation, distribution and transmission. ये तीनों मुद्दे थे। हमारे यहां पर 32 परसेंट लाईन लौसिज हैं। यह बहुत बड़ा लौस है। बहुत बड़ी चोरी है। हमने इनको चोरी कहा है। इसको रोकने के लिए हमारा डिस्ट्रिब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन के लिए अलग से तीन कम्पनी बनाने का सुझाव है। यानी इसका प्रावधान है। ये कम्पनी हरियाणा गवर्नमेंट की बनेगी। इसमें हरियाणा सरकार की अपनी सुविधानुसार, अपने अधिकारी जो अच्छे हैं, योग्यातानुसार जिस किसी अधिकारी की कैपेसिटी होगी उनको लगाया जायेगा। ये तीन कम्पनी बना कर एक तरह से वर्गीकरण किया गया है। हम किसी प्राइवेट हाथ में बिजली बोर्ड को नहीं दे रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, वे मित्र इस बात को हंगामें में रूलाना चाहते थे क्योंकि वे कह चुके हैं कि हम बिजली बोर्ड को प्राइवेट क्षेत्र में कर चुके हैं वे कह चुके हैं कि हम बिजली बोर्ड को बेच रहे हैं। उन मित्रों ने हरियाणा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को बहकाया कि बिजली के निजीकरण होने के बाद तुम्हारी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, जबकि हकीकत यह नहीं है। उन्होंने हरियाणा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भड़काया था

लेकिन हम अपने कर्मचारियों को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी हड़ताल वापिस ली। इसी 9-10 तारीख को उन्होंने हड़ताल करने का आह्वान किया था। उनको गुमराह किया गया था लेकिन जब उनको सदाकत का पता लग गया तो उन्होंने अपनी हड़ताल वापिस ले ली। हम वर्गीकरण कर रहे हैं। हम यह सब कुछ बिजली की स्थिति में सुधार करने के लिए कर रहे हैं। हम इसको प्राईवेट हाथ में देने नहीं जा रहे। हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नई कम्पनीज का संचालन करेंगे और वे हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार कार्य करेंगे। यह ऐतिहासिक पहल है जोकि हरियाणा की आवश्यकता के अनुसार है। इतने थोड़े समय में बिजली पैदा करने का इतना बड़ा काम किसी और सरकार के बस की बात नहीं थी। यह केवल चौ.बंसी लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसी के बस की बात है। डिप्टी स्पीकर सर, हरियाणा हमारी पहली प्राथमिकता है, हरियाणा का हर गांव, गरीब किसान हमारी पहली प्राथमिकता है, शहर, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने सब बातों की प्राथमिकता को छोड़ कर सबसे पहली प्राथमिकता बिजली के उत्पादन को दी है और इसीलिए यह विधेयक इस सदन में आया है। यह सुधारीकरण विधेयक हरियाणा में बिजली की चोरी को रोकने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए ताकि जरूरत के मुताबिक लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सके, इस ऐतिहासिक विधेयक का आवाहन किया था। डिप्टी स्पीकर साहब, वे इसको स्वीकार करते, इस सदन में इस मुद्दे पर कोई बात

बताते लेकिन उनके पास कोई बात कहने के लिए नहीं थी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था इसलिए हमारे मित्र हाउस से चले गए। कांग्रेस के बारे में उनके सामने भी उनको कहा था कि वे लालू प्रसाद यादव के हिसाब से चलना चाहते हैं और उसके नेता सीता राम केसरी भी उस ढर्रे पर चल रहे हैं। देश की जनता और देश के सुख-दुख के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया है। ये लोग विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, सत्ता से ही इनका ताल्लुक है। लोगों की सेवा करने में इनका कोई विश्वास नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक एक ऐतिहासिक विधेयक है जिसके लिए चौ. बंसी लाल जी की सरकार बधाई की हकदार है। पिछले साल भर से हरियाणा की जनता के सामने डंके की चोट पर गांवों की चौपालों में कहते आ रहे हैं। बिजली के उत्पादन की बात को हम गांव की चौपाल तक ले गए हैं। बिजली की बात पर, इस मुद्दे पर सब डिवीजन स्तर पर मुख्य मंत्री महोदय, स्वयं गए हैं और गांवों के स्तर पर हमारे मंत्री मण्डल के मंत्रीगण तक विधायक गए हैं और जनता के साथ इस मुद्दे पर हमने विचार-विमर्श किया है। लोगों को बताया है कि किस प्रकार से बिजली का उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने लोगों से पूछा है कि क्या यह ठीक बात है तो सब लोगों का भारी जनसमर्थन मिला है। मैं चाहता हूँ कि इसी भावना के साथ इस बिल का पारित किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है यह हरियाणा में बिजली की हालत सुधारने के लिए, लोगों को 24 घंटे बिजली मिल जाए इसका प्रबन्ध करने के लिए और बिजली की जो चोरी और लाईन लौसिज ज्यादा हैं उनको बन्द करने के लिए तथा बिजली का काम स्टेट में सुचारु रूप से चले इसके लिए लाया गया है। इससे पहली सरकार ने, चौ. भजन लाल जी ने 25 फरवरी, 1996 को एक बिल एप्रूव किया था जिसमें आलमोस्ट कम्पलीटर प्राईवेटाईजेशन थी मगर हमने उस बिल को बदला है। हमने बिजली का प्राईवेटाईजेशन नहीं किया है। हमने फैसला किया है कि हम तीन कम्पनीज बनाएंगे इसके लिए ही यह बिल आ रहा है। एक कम्पनी पावर जनरेशन के लिए है, एक कम्पनी हम पावर ट्रांसमिशन के लिए बनाएंगे और एक कम्पनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाएंगे। जनरेशन में गवर्नमेंट की कम्पनी भी पावर जनरेट करेगी और प्राईवेट आदमियों को सिर्फ जनरेशन के लिए बुलाया जाएगा। ट्रांसमिशन में कोई प्राईवेटाईजेशन नहीं होगी कम्पलीटली गवर्नमेंट की कम्पनी की होगी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट में चार जोन्ज बना देंगे। 4 जोन्ज में से तीन जोन्ज में तो कम्पलीटली गवर्नमेंट की कम्पनीज काम करेगी और एक जोन में ज्यायंट वैंचर बनाएंगे। गवर्नमेंट इसमें एक पार्टनर के रूप में अपना दखल रखेगी। यह ज्वायंट वैंचर हम एक्सपैरिमेंटल बेसिज पर करके देखेंगे। जो कांग्रेस वाले भाई इस बात को कहते हैं कि हम इसके साथ एसोसिएटस नहीं करते, वे भाई यह जानते हैं कि जब हम यह बताएंगे कि उन्होंने उनके

वक्त में क्या किया था, उन्होंने क्या मंजूरी दी थी, उस बात को सुनकर वे यहां पर खड़े नहीं हो पाएंगे इसलिए वे वाक आउट कर गए।

हमारे एस.जे.पी. वाले भी हैं वे बाहर खड़े ही नारे लगाते रहे। उनका तो सदन की कार्यवाही में पार्टीसिपेट करने का कभी प्रयोग ही नहीं होता है। उनका वन प्वायंट प्रोग्राम होता है कि हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देनी है, हाउस में शोर मचाना है जो कि वे आज बाहर खड़े खड़े मचा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट में जनरेशन की कैपेसिटी 860 मैगावाट है। अगले अढ़ाई साल में 870 मैगावाट की नई जनरेशन हम कर देंगे। इसके अलावा 410 मैगावाट का नया प्लांट फरीदाबाद में लग जाएगा। प्रधान मंत्री जी की मेहरबानी से फरीदाबाद में 410 मैगावाट के गैस बेस्ड प्लांट की मन्जूरी मिल गई है। इसको एन.टी.पी.सी. लगाएगी और इसकी 100 फीसदी पावर हरियाणा प्रदेश को ही मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तीन अगस्त इसी तीन अगस्त को प्रधान मंत्री जी फरीदाबाद में उस प्लांट का शिलान्यास करेंगे।

इसी तरह से पानीपत के जो थर्मल प्लांट है उनमें से एक 440 मैगावाट का है और चार 110-110 मैगावाट के हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनसे आज जो बिजली पैदा करने की क्षमता है 27 प्रतिशत से 31 प्रतिशत के बीच में है। हमने ए.बी.बी. की कम्पनी से समझौता किया है जोकि उन प्लांट्स को 80 प्रतिशत लोड फैक्टर पर ले आएगी। हमे उम्मीद है कि उन्हें 80 प्रतिशत

लोड फैक्टर पर लाने के बाद हमारी कम से कम 250 मैगा वाट ओर ज्यादा से ज्यादा 270 मैगावाट जनरेशन की कैपैस्टी बढ़ेगी। आज हमें उन चारों प्लाटों से 927 मिलियन यूनिट बिजली मिलती है और इनका सुधार होने के बाद हमें 3 हजार मिलियन यूनिट बिजली मिलने लगेगी और हमारी कोल की कंजमशन आज के मुकाबले 30-35 प्रतिशत कम हो जाएगी। आज उन चारों प्लाटों से जो बिजली हमें 2.25 रूपये प्रति यूनिट पड़ती है वह इन प्लाटों के ठीक होने के बाद 1.25 रूपये प्रति यूनिट पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, एक रूपया प्रति यूनिट फर्क पड़ जाएगा। उनको सुधारने से इतना फर्क पड़ जाएगा कि एक साल में जितनी यूनिट बिजली पैदा करेंगे उससे हमारा जो 3 सौ करोड़ रूपया खर्चा हो जाएगा वह पूरा हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय हमने एक प्रावधान यिका है कि इलैक्ट्रिसिटी की रैगुलेटरी बौडी होगी, रैगुलेटरी कमीशन होगा उसका काम यह होगा कि वह प्रोड्यूसर की भी बात सुने और कंज्यूकर की बात भी सुने और कंज्यूमर की बात और उनके राईटस का पूरा ध्यान रखे। उसके बाद वे बिजली के रेटस फिक्स करेंगे। किस किस ढंग से रैगुलेट हो, किस तरह से पावर जनरेशन के लाईसैंस दिए जाएं, हरियाणा सरकार को यह अधिकार होगा कि उस कमीशन को ये डायरेक्शन दे सके कि इस क्लास को इस भाव पर बिजली देनी पड़ेगी। पिछले साल हमने किसानों को साढ़े छः करोड़ रूपये की सबसिडी दी थी और इस साल में शायद सात सौ करोड़ रूपये सबसिडी हो जाएगी। यह सब सरकार को अधिकार होगा। ऐसी बात नहीं है कि रैगुलेटरी

कमीशन बनेगा तो शायद सरकार का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस किस्म की कोई बात नहीं है। जो आदमी इसके सदस्य बनेंगे वे भी समझदार आदमी ही होंगे। तीन आदमीयों का यह रैगुलेटरी कमीशन होगा। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा वैसा कोई आदमी इसका सदस्य नहीं बनेगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस पार्टी के भाई इसलिए यहां से चले गए क्योंकि उन्हें पता था कि वे इस बारे में हमारी बात सुन नहीं सकते। चौ. भजनलाल के वक्त में ही इस बारे में ओपन टैंडर गए थे लेकिन उनके वक्त में हम बारे में फाइनल फैसला नहीं हुआ था। परन्तु मैंने इस बारे में कैबिनेट की एक सब कमेटी बना दी जिसके मैम्बर 6-7 मिनिस्टर थे। हमने उस कमेटी से कहा कि वे ही इस बारे में फैसला करें कि यह काम किसको देना है। उन्होंने पानीपत के प्लांट के बारे में ए.बी.बी. और बी.एच.ई.एल. को कई बार बुलाया, कई बार चांस दिया। परन्तु बी.एच.ई.एल. ठीक टर्म एवं कंडीशन पर नहीं आ सकी इसलिए फिर उन्होंने ए.बी.बी. को यह टैंडर दिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पानीपत थर्मल प्लांट के 210 मैगावाट के छठे प्लांट के बारे में भी चौ. भजन लाल के वक्त में ही ओपन टैंडर आए हुए थे, वे एक दूसरी कम्पनी को दिए गए। उपाध्यक्ष महोदय, चौ. भजन लाल ने टैंडर तो छोड़ दिए ओर टैंडर छोड़कर सीधा फैसला आइजनवर्ग ग्रुप को एम.ओ.यू. पर यह काम देने का कर लिया। आज की तारीख में कोई भी आदमी एम. ओ.यू. पर यह काम करवाना पसन्द नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से किसी को भी कम्पीट करने का मौका नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष

महोदय, सब कमेटी ने उनको बुलाकर सुना ओर जिस सही नतीजे पर वे पहुंचे उसके हिसाब से उन्होंने फैसला कर दिया। अब यह काम जल्दी ही हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो लाईन लौसिज हैं वह करीब 32 परसेंट हैं। मैं समझता हूं कि यह केवल दस या पन्द्रह परसेंट ही हैं बाकी तो बिजली की चोरी ही है। अगर यह हमारे लाईन लौसिज और चोरी ठीक हो जाए तो हमारा बिजली बोर्ड मुनाफे में आ जाए। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कुछ भी करने के बाद भी बात सिरें नहीं चढ़ रही। इसके अलावा इस समय जो बिजली बोर्ड के मुलाजिम हैं उनमें से भी किसी को नहीं निकाला जाएगा, सिक्की की भी रिट्रेचमेंट नहीं होगी। जो यह तीन कम्पनीयों बनेगी चाहे वह जनरेशन कम्पनी हो, चाहे वह ट्रांसमिशन कम्पनी हो और चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी हो, जो भी मुलाजिम जिस किसी भी कम्पनी को पांच साल तक सिलैक्ट कर लेगा कि वह उस कम्पनी में रहेगा तो फिर वह उसी कम्पनी में रहेगा। उसकी कोई सर्विस कंडीशन चेज नहीं होगी और ने ही किसी को रिट्रेचमेंट किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इन तीन कम्पनियों के बनने से हो सकता है कि मुलाजिमों को को प्रमोशन ज्यादा मिले। उनको प्रमोशन मिलने का चांस तो ज्यादा हो सकता है लेकिन किसी को भी छुट्टी नहीं की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा सरकार ने ऐसा पहले ही कर दिया है और कल के अखबार में यह भी था कि राजस्थान सरकार भी बिजली को प्राईवेट करने लगी है। हिन्दुस्तान में हर स्टेट ऐसा करेगी, किसी एक स्टेट में ऐसा नहीं है। बाकी स्टेट्स

तो बिजली को प्राइवेटाइज करने जा रही हैं परन्तु हमने प्राइवेटाइज नहीं किया बल्कि हमने गवर्नमेंट की तीन कम्पनियां और ऐ रैगुलेटरी कमीशन बनाने का फैसला किया है। इसके बाद हमारे पास सवा दो या अढ़ाई साल में इतनी बिजली हो जाएगी कि पूरे प्रदेश में एक मिनट का भी कट नहीं लगेगा। लोगों को सवा दो साल या अढ़ाई साल बाद हमको 24 घंटे बिजली देने के लिए अपनी लाईनें बदलनी पड़ेगी क्योंकि ये लाईनें मैंने 26-27 साल पहले लगायी थी और उसके बाद किसी ने उनको नहीं बदला। इसके अलावा हमें सब स्टेशंज भी अपग्रेड करने पड़ेंगे और कुछ नये स्टेशंज भी बनाने पड़ेंगे। यानी हमें इस संबंध में काम बहुत करना पड़ेगा। इस सरकार काम को करने के लिए हमें कम से कम पांच हजार करो रूपये की जरूरत है लेकिन ने तो हमारे पास और न ही भारत सरकार के पास इतना पैसा है इसलिए हमने यह पैसा विश्व बैंक से मांगा है। विश्व बैंक ने कहा है कि हम आपको पैसा तो दे देंगे लेकिन आप हमें यह बताओं कि हमारा यह पैसा आप वापिस कैसे करोंगे? उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई सिकी को कर्जा देता है तो वह यह तो सोचता है कि वह कैसे कर्ज वापिस देगा। तो हमें वह कर्जा देने के लिए उन्होंने यह कहा कि आपके ये लार्ठन लौसिज ओर चौरी तब घटेगी जब आप इसकी तीन कम्पनी अलग-अलग बनाओंगे। हमने तीन कंपनियां बनाने का इसीजिए तय किया है कि इससे प्रदेश का फायदा होगा। लोगों को सवा दो या अढ़ाई साल के बाद 24 घंटे बिजली मिलेगी। यह भी एक गलतफहमी फैलाई जा रही है कि यह

करने से बिजली के पैसे बढ़ जाएंगे। बिजली के पैसे नहीं बढ़ेंगे, इस नाम के बिजली के कोई पैसे नहीं बढ़ेंगे।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, यह जो हमने किया है इस बिल के बगैर हमारे सामने कोई चारा नहीं था। हमने पूरी कोशिश कर ली कि लाईन लौसिज हम हों लेकिन लाईन लौसिज हर साल तीन प्रतिशत बढ़ जाते थे। महीने दो महीने में पता लगेगा कि हम कितने लाईन लौसिज घटाने में कामयाब हुए हैं। इन सब चीजों को देखने के लिए हमने यह बिल पेश किया और कमीशन जो होगा वह रेट फिक्स करेगा। The Commission would be assisted by the staff and consultants as required to facilities its functioning. कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही जो अनहोनी हो, कोई चीज ऐसी नहीं हो रही जो प्राइवेटाइज हो रही हो। ये तीनों कंपनियां हरियाणा गवर्नमेंट की होगी। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी में चार जोनों में से एक जोन में ज्वार्ट वैचर बनेगा। उसको ट्राई करेंगे, ठीक होगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक नहीं होगा तो खत्म कर देंगे। मैं समझता हूँ कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे विपक्ष के भाई इसलिए चले गए क्योंकि उनके पास इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे विपक्ष के भाई इसलिए चले गए क्योंकि उनके पास इन बातों को कोई जवाब नहीं था। वे सोच रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन का बिल लाएंगे मगर हम वह बिल लाए ही नहीं। हमने प्राइवेटाइज करने का फैसला ही नहीं किया। तीनों

कम्पनियां सरकार की रहेंगी। विपक्षी भाईयों को गलतफहमी थी कि चौ. भजन लाल ने 25.2.1996 को जो मंजूर किया था वही बिल आएगा मगर हमने वह बदल दिया। इसलिए मैं सदन से और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह बिल पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana State electricity Reform Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (3) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That sub-clause (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is –

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is –

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is –

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker: Question is –

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker: Question is –

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker: Question is –

That clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 10

Mr. Speaker: Question is –

That clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 11

Mr. Speaker: Question is –

That clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 12

Mr. Speaker: Question is –

That clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 13

Mr. Speaker: Question is –

That clause 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 14

Mr. Speaker: Question is –

That clause 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 15

Mr. Speaker: Question is –

That clause 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 16

Mr. Speaker: Question is –

That clause 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 17

Mr. Speaker: Question is –

That clause 17 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 18

Mr. Speaker: Question is –

That clause 18 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 19

Mr. Speaker: Question is –

That clause 19 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 20 to 57

Mr. Speaker: Question is –

That clause 20 to 57 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is –

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

***12.00 hours**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 23rd July, 1997.)